फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या :210/2025

उनवानः रमेशचन्द बनाम सत्यनारायण वगै

पत्रावली आज दिनांक 27.10.2025 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1847, 1848, 1849, 1854 वाकै ग्राम खो–नागोरियान, पटवार हल्का खो–नागोरियान, भू0अ0नि0 क्षेत्र खो–नागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट नोटिस जारी हो। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट नोटिस जारी करवाकर आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से तामील की ट्रेक रिपोर्ट पेश करें। वास्ते तल्बी आगामी पेशी दिनांक 10.11.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आज दिनांक 10/11/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक मंच [illegible] कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित [illegible] के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ठो.भ. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/11/25 को पेश हो।

20/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगाई गई फिर भी स्वयं प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित है समय शाम 5:30 का हो चुका है पुनः आवाज लगवाई गई अब भी स्वयं प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दफ्तरी में दाखिल किया जावे। निर्णय आज दिनांक 20/11/25 को विवाद्य भान को इजलास उपस्थित सुनाया गया।